देवघर समाहरणालय

(जिला भू अर्जन शाखा)

—: अधिसूचना :—

अधिसूचना संख्या 1108 /भू अ० दिनांक : 20/12/18

चूँकि झारखण्ड सरकार/समाहर्त्ता को यह प्रतीत होता है कि **ग्राम—पहाड़पुर सरकण्डा, थाना—देवघर, थाना सं०—632, अंचलः—देवघर, जिला—देवघर** में भूमि सार्वजनिक प्रयोजन, यथा परियोजना **देवघर— चांदडीह—तिलौना पथ भाया सिमरा, खसपेका, पिछड़ीबाद, मथुरापुर, हुसैनाबाद, कथारी पथ का पुनर्निर्माण** हेतु अपेक्षित है। प्रभावित परिवारों के पुनर्वासन एवं पुनर्व्यवस्थापन के प्रयोजनार्थ अपर समाहर्त्ता अथवा नियम 2(1)(ख) के तहत नियुक्त पदाधिकारी प्रशासक के रूप में नियुक्त किए गए हैं। अतएव अधिसूचित किया जाता है कि **ग्राम—पहाड़पुर सरकण्डा, थाना—देवघर, थाना सं०—632, अंचल—देवघर, जिला—देवघर** में उपर्युक्त कथित परियोजना के लिए कमोवेश **1.295 एकड़** मानक माप का भूखंड, जिसका विस्तृत विवरण निम्नलिखित है, अर्जनाधीन है —

क. स.	खाता सं.	सर्वे भूखंड सं०	स्वामित्व का प्रकार	भूमि का प्रकार	अर्जन के अधीन क्षेत्रफल (एकड़ में)	हितबद्ध व्यक्ति का नाम व पता	सीमा (भूखंड सं०)			
							उ०	द०	पू०	प०
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	7	18	रैयती	बाड़ी—1	0.03	चान्दो पंडित बल्द लीली पंडित।	दाग संख्या 836 नाला	दाग संख्या 191 नदी	अर्जित दाग का अंश	अर्जित दाग का अंश
2	7	21	रैयती	बाड़ी—1	0.02	तथैव।				
3	12	16	रैयती	बाड़ी—1	0.03	उमा पंडित वो जटू पंडित पे० स्व० रूदो पंडित सा० देह।				
4	12	15	रैयती	बाड़ी—1	0.04	विशेश्वर पंडित पे० स्व० फकीर पंडित सा० देह।				
5	18	6	रैयती	धानी—3	0.06	गुलाम महतो वो रघुनाथ पंडित पे० स्व० धनपत पंडित अंश समान सा० देह।				
6	18	19	रैयती	बाड़ी—1	0.05	अमृत पंडित वो सुरेश पंडित माता कुनिया देवी वो भुतन पंडित वो बल्द स्व० पांचु पंडित वो नुनुराम पंडित बल्द चेतू पंडित वो सीताराम पंडित वो जयदेव पंडित पे० स्व० भुटका पंडित वो शकुन्तला देवी पे० स्व० सहदेव पंडित अंश समान सा० देह।				
7	19	5	रैयती	धानी—3	0.04	वास्ता पंडित वो नरेश पंडित वो सुभाष पंडित पे० स्व० फुचा पंडित अंश समान सा० देह।				
8	19	7	रैयती	धानी—3	0.06	मनभरण पंडित वो झगरू पंडित पे० स्व० शिव पंडित वो दुर्गा पंडित बल्द बुधु पंडित वो एतवारी पंडित वो लुटन पंडित पे० स्व० मोहन पंडित (ज०रै०)।				
9	19	20	रैयती	बाड़ी—1	0.12	तथैव।				
10	24	8	रैयती	धानी—3	0.01	भरत पंडित वो त्रिभंगी पंडित पे० स्व० बिरजू पंडित अंश समान सा० देह।				
11	24	23	रैयती	बाड़ी—1	0.015	तथैव।				
12	24	10	रैयती	धानी—3	0.01	नरोत्तम पंडित पे० स्व० सहदेव पंडित वो रवि पंडित पे० स्व० जोदो पंडित वो हीरालाल पंडित पे० स्व० रमण पंडित अंश समान सा० देह।				
13	24	14	रैयती	धानी—3	0.01	तथैव।				

17-12-2018

14	24	24	रैयती	बाड़ी–1	0.015	तथैव।				
15	26	2	रैयती	बाड़ी–2	0.38	अनंत प्रसाद लाल वो अरूण प्रसाद लाल वो हरी प्रसाद लाल वो सुशील प्र० लाल पे० स्व० बालेश्वर प्र० लाल वो मनोज कुमार लाल वो ओमप्रकाश कुमार लाल वो जयप्रकाश कुमार लाल पे० स्व० लक्ष्मी प्र० लाल वो दिलीप कुमार लाल वो अजीत कुमार लाल वो प्रदीप कुमार लाल पे० स्व० त्रिपुरारी प्र० लाल वो मीरा देवी पति स्व० विपीन बिहारी लाल वो संजय कुमार लाल वो पुरण कुमार लाल वो सतेन्द्र कुमार सिन्हा वो विजय कुमार लाल पे० स्व० चारू प्र० लाल वो विश्वनाथ प्र० लाल वो बमशंकर प्र० लाल वो विनय कुमार लाल वो विनोद कुमार लाल पे० स्व० जगदीश प्र० लाल अंश समान सा० देह।				
16	27	11	रैयती	धानी–3	0.21	यशोदा देवी पति लालजी पंडित सा० देह।				
17	27	17	रैयती	बाड़ी–1	0.005	तथैव।				
18	31	31	रैयती	धानी–2	0.01	कालो पंडित वो कालेश्वर पंडित पे० स्व० गौरी पंडित वो सिंहेश्वर पंडित पे० स्व० जागेश्वर पंडित वो पुरण पंडित वो सुरेश पंडित पे० स्व० भुखन पंडित वो मुशो पंडित पे० स्व० केटु पंडित वो शशिकांत पंडित वो श्रीकांत पंडित वो रामदेव पंडित वो मारकंडे पंडित वो मुर्ति उर्फ महेन्द्र पंडित पे० स्व० गणेश पंडित वो वंशी पंडित पे० स्व० विनोद पंडित सा० देह।				
19	31	26	रैयती	धानी–3	0.09	तथैव।				
20	31	25	रैयती	बाड़ी–1	0.09	तथैव।				
कुल रकवा–					**1.295**					

यह अधिसूचना भू–अर्जन, पुनर्वासन एवं पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर एवं पारदर्शिता अधिकार अधिनियम–2013 (अधिनियम संख्या 30/2013), की धारा–11 (1) के उपबंधों के अधीन सभी संबंधित व्यक्तियों के लिए जारी की जाती है।

भूमि की योजना का निरीक्षण जिला भू–अर्जन पदाधिकारी, देवघर के कार्यालय में किसी कार्य दिवस को कार्यावधि में किया जा सकेगा। झारखण्ड सरकार/समाहर्त्ता–सह–समुचित सरकार उक्त अधिनियम की धारा 12 में यथा उपबंधित एवं यथाविनिर्दिष्ट कार्यों के समुचित निष्पादन हेतु अपेक्षित किसी भूमि का सर्वेक्षण एवं उसकी प्रविष्ट करने, किसी भूमि के किसी स्तर को मापने के लिए, अवभूमि खोदने या भू–वेधन–छिद्र करने सहित सभी अन्य कार्यों के संचालन करने हेतु जिला भू–अर्जन पदाधिकारी, देवघर और उनके कर्मचारियों को प्राधिकृत करती है।

अधिनियम की धारा 11(4) के अधीन कोई व्यक्ति जिला समाहर्त्ता के पूर्विक अनुमोदन के बिना इस अधिसूचना के प्रकाशन की तिथि से प्रारंभिक अधिसूचना में विनिर्दिष्ट भूमि का कोई अंतरण यथा क्रय/विक्रय नहीं करेगा या ऐसा कोई अंतरण करवाएगा या ऐसी भूमि पर कोई अवभार नहीं उत्पन्न करेगा। अधिनियम की धारा 15 के अधीन यथाउपबंधीत इस अधिसूचना के

प्रकाशन की तिथि से 60 दिनों के अंतर्गत भू–अर्जन की बाबत किसी प्रकार की आपत्तियॉ हितबद्ध व्यक्ति द्वारा जिला भू–अर्जन पदाधिकारी, देवघर के समक्ष दर्ज की जा सकेगी।

जिला भू अर्जन पदाधिकारी देवघर 17/12/18 — अपर समाहर्त्ता देवघर 17-12-2018 — 17/12/18

समाहर्त्ता–सह–उपायुक्त,
देवघर।

ज्ञापांक 1108 / भू अ०, देवघर, दिनांक 20/12/18

प्रतिलिपि : संबंधित भूधारियों को सूचनार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपि : अंचल अधिकारी, देवघर को सूचनार्थ एवं सूचना पट्ट में लगाने हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि : अनुमण्डल पदाधिकारी, देवघर को सूचनार्थ एवं सूचना पट्ट में लगाने हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि : जिला सूचना एवं जनसम्पर्क पदाधिकारी, देवघर को दो दैनिक समाचार पत्रों में जिसमें से एक स्थानीय भाषा में प्रकाशनार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपि : प्रभारी पदाधिकारी, जिला गजट शाखा, देवघर को आगामी असाधारण / पाक्षिक अंक में प्रकाशनार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपि : जिला सूचना विज्ञान पदाधिकारी, देवघर को सूचनार्थ प्रेषित। अनुरोध है कि देवघर जिला के वेबसाईट पर प्रदर्शित करने का कृपा करें।

जिला भू अर्जन पदाधिकारी देवघर 17/12/18 — अपर समाहर्त्ता देवघर 17-12-2018 — 17/12/18

समाहर्त्ता–सह–उपायुक्त,
देवघर।